

प्रगति प्रतिवेदन

2012–2013



राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि.

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि.

प्रगति प्रतिवेदन

2012—2013



अनुक्रमणिका

क्रमांक	विवरण
	निदेशक मण्डल
1.	प्रसारण निगम के मुख्य दायित्व
2.	योजनावार पूँजीगत व्यय
3.	योजनागत एवं गैर योजनागत व्यय एवं भौतिक उपलब्धियां
4.	विचाराधीन विद्युत उत्पादन योजनायें (भागीदारी एवमं निजी क्षेत्र)
5.	विद्युत उत्पादन क्षमता
6.	विद्युत क्षेत्र सुधार कार्यक्रम
7.	ऊर्जा उपलब्धि, वितरण कम्पनियों द्वारा ली गयी ऊर्जा एवं प्रसारण क्षति
8.	निगम में नियोजित कर्मचारी
9.	निगम का संगठनात्मक चार्ट
10.	चरम मांग

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण
निगम लिमिटेड

कम्पनी – निदेशक मण्डल

श्री शैलेन्द्र अग्रवाल, आई.ए.एस.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
श्री तन्मय कुमार, आई.ए.एस.	निदेशक
श्री नरेश पाल गंगवार, आई.ए.एस.	निदेशक
श्री कुंजी लाल मीणा, आई.ए.एस.	निदेशक
श्रीमती शशि माथुर	निदेशक (वित्त)
श्री वाय.के. रायजादा	निदेशक (तकनीकी)
श्री बी. एन. सैनी	निदेशक (संधारण)

श्री विजय माथुर

कम्पनी सचिव

1. प्रसारण निगम के मुख्य दायित्व

1.1 इस कम्पनी के मुख्य दायित्व निम्न प्रकार से हैं :

1. 400 के.वी., 220 के.वी. व 132 के.वी. विद्युत प्रसारण लाइनों एवं सब-स्टेशनों का निर्माण, परिचालन एवं संचालन संबंधित कार्य ।
2. ऊर्जा के व्हीलिंग एवं तंत्र संचालन संबंधित कार्य ।
3. विद्युत संबंधित सूचना और आंकड़ों का संकलन, अध्ययन एवं अन्वेषण, आधुनिकीकरण आदि के लिए अध्ययन एवं सुधारात्मक प्रयासों को लागू करना ।
4. राजस्थान डिस्कॉम्स पावर प्रोक्योरमेन्ट सेन्टर एवं उत्पादन गृहों से परामर्श कर भार का पुर्वानुमान करना एवं उत्पादन लक्ष्य सूचित करना ,आदि ।

1.2 राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी होने के कारण केन्द्रीय विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत विद्युत क्रय-विक्रय का कार्य नहीं कर सकता । इसलिये रा.रा. विद्युत उत्पादन निगम, पवन ऊर्जा संयंत्र, केप्टिव पावर प्लांट, केन्द्रीय विद्युत गृहों, विद्युत क्रय-विक्रय केन्द्रों एवं अन्य स्रोतों से विद्युत खरीद एवं विद्युत ऊर्जा के उत्पादन, प्रसारण, वितरण, आपूर्ति एवं व्हीलिंग में लगी हुयी विभिन्न कम्पनियों तथा संस्थानों से ऊर्जा क्रय तथा ऊर्जा विक्रय अनुबन्धों का निष्पादन, समन्वय एवं सलाह का जो कार्य प्रसारण निगम करता आ रहा था, वह कार्य अप्रैल, 2004 से राज्य की तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों को स्थानान्तरित कर दिया गया है । विद्युत वितरण कम्पनियां एक केन्द्रीय सेल, राजस्थान डिस्कॉम्स पावर प्रोक्योरमेन्ट सेन्टर (आर.डी.पी.पी.सी.), के माध्यम से यह कार्य कर रही हैं ।

2. योजनावार पूँजीगत व्यय

2.1 विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में विद्युत क्षेत्र को पूँजीगत कार्यों हेतु अधिक से अधिक धन राशि उपलब्ध करवाई गयी । प्रसारण क्षति को कम कर उपलब्धता बढ़ाने तथा उच्च गुणवत्ता की विद्युत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रसारण तंत्र को मजबूत करने की दिशा में प्रयास जारी रहे, तदनु रूप पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत एक बड़ा भाग प्रसारण तंत्र मद में खर्च किया गया ।

2.2 पंचवर्षीय योजनावार प्रसारण तंत्र मद में पूँजीगत व्यय :

क्र. सं.	योजना	विद्युत क्षेत्र हेतु योजना आवंटन (करोड रु.)	प्रसारण तंत्र मद में पूँजीगत व्यय (करोड रु.)
1	छठी योजना	641	135
2	सातवीं योजना	1069	209
3	वार्षिक योजना (1990-91)	276	62
4	वार्षिक योजना (1991-92)	335	70
5	आठवीं योजना	3913	883
6	नवीं योजना	6000	1047
7	दसवीं योजना	7777 (उक्त में से प्रसारण निगम हेतु 2145 करोड रूपये)	1872
8	ग्यारहवीं योजना	25590(उक्त में से प्रसारण निगम हेतु 4600'करोड रूपये)	7286 (प्रोविजनल) (मार्च, 2012तक)
9	बारहवीं योजना	71313.25(उक्त में से प्रसारण निगम हेतु 12600'करोड रूपये)	1549 (प्रोविजनल) (दिसम्बर,2012तक)

'इसमें संक्रमण काल अवधि के दौरान दी जाने वाली नकद सहायता राशि 2000 करोड रु. सम्मिलित नहीं है।

2.3 वर्ष 2011-12 व 2012-13 के लिये प्रसारण मद में पूँजी व्यय की तुलनात्मक स्थिति :
(करोड रु.)

क्र सं.	विवरण	वर्ष 2011-12	वर्ष 2012-13(संशोधित)
1	योजना प्रावधान	2000.00	2244.00
2	गैर योजना प्रावधान	35.79	38.06
3	कुल प्रावधान	2035.79	2282.06
4	कुल व्यय (प्रोविजनल)	2014.94	1548.59 (दिसम्बर,2012 तक)

3. योजनागत एवं गैर योजनागत व्यय एवं भौतिक उपलब्धियाँ

3.1 पूँजी निवेश :

वर्ष 2012-13 में, राज्य की संशोधित वार्षिक योजना में प्रसारण निगम के कार्यों हेतु 2244 करोड़ रु. के आवंटन तथा कुल योजनागत एवं अतिरिक्त योजनागत 2282.06 करोड़ रु. के नवीनतम बजट अनुमानों के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2012 तक 1548.59 करोड़ रु. का व्यय हुआ है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

(करोड़ रूपयों में)

मद	आवंटन/प्रावधान वर्ष 2012-13			कुल व्यय (प्रोविजनल) (दिसम्बर, 2012तक)		
	योजनागत	गैर योजनागत	कुल	योजनागत	गैर योजनागत	कुल
1.उत्पादन (सर्वे एवं जांच कार्य सहित)	35.00	—	35.00	1.49	—	1.49
2. प्रसारण एवं अन्य	2209.00	38.06	2247.06	1547.10	—	1547.10
योग	2244.00	38.06	2282.06	1548.59	—	1548.59

3.2. भौतिक लक्ष्य :

वर्ष 2012-13 के दौरान उच्च प्रसारण कार्यों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धि निम्न प्रकार है :-

मद	इकाई	वर्ष 2012-13	
		लक्ष्य	वर्षान्तर उपलब्धि (दिसम्बर,2012 तक)
क. लाईन कार्य			
765 के.वी.	परिपथ कि.मी.	—	—
400 के.वी.	परिपथ कि.मी.	20	114.210
220 के.वी.	परिपथ कि.मी.	700	356.118
132 के.वी.	परिपथ कि.मी.	425	299.899
ख. नये सब स्टेशन:			
400 के.वी.	संख्या / क्षमता (एम.वी.ए.)	—	—
220 के.वी.	संख्या / क्षमता (एम.वी.ए.)	8 / 920	3 / 300'
132 के.वी.	संख्या / क्षमता (एम.वी.ए.)	20 / 550	13 / 450(जिसमें से 50एम.वी.ए.क्षमता 220के.वी सब-स्टेशनों पर)"
ग. पुराने सब-स्टेशनों का क्षमता परिवर्द्धन	एम.वी.ए.	1500	1472.5
घ. कैपेसिटर बैंक	एम.वी.ए.आर.	150	358.38

' योजनान्तर्गत, 220 / 132के.वी.का 100एम.वी.ए. क्षमता का एक अतिरिक्त ट्रांसफार्मर डेचू ग्रिड सब-स्टेशन पर लगाया गया।

" योजनान्तर्गत, अतिरिक्त/पुनर्स्थापित 132/33 के.वी. के ट्रांसफार्मरों से कुल 75एम.वी.ए. क्षमता, ग्रिड सब-स्टेशन बाप व पी.एस.1 पर चालू की गयी।

3.3 उच्च प्रसारण क्षमता की योजनावार प्रगति :

मद	इकाई	सातवीं योजना (1989-1990) के अन्त में	आठवी योजना (1996-1997) के अन्त में	नवी योजना (2001-2002) के अन्त में	दसवी योजना (2006-2007) के अन्त में	ग्यारहवीं योजना (2011-2012) के अन्त में	वर्ष (2012-2013) (दिस.,2012 तक) के अन्त में
क. उच्च प्रसारण लाइनें:							
400के.वी.	परिपथ कि.मी.	—	—	286.98	620.18	2904.79	3019.00
220के.वी.	परिपथ कि.मी.	3532.49	5691.22	6923.10	8418.25	11143.09	11499.21
132के.वी.	परिपथ कि.मी.	6817.41	9187.71	10562.40	12016.25	14315.41	14615.31
66के.वी.	परिपथ कि.मी.	303.06	303.06	303.06	—	—	—
ख. ग्रिड सब-स्टेशन:							
400के.वी.	संख्या / क्षमता (एम.वी.ए.)	1 / 500	1 / 750	2 / 1380	4 / 2955	9 / 4845	9 / 5160
220के.वी.	संख्या / क्षमता (एम.वी.ए.)	13 / 2320	30 / 5005	42 / 8005	54 / 10405	80 / 18425	83 / 19165
132के.वी.	संख्या / क्षमता (एम.वी.ए.)	107 / 2699	160 / 5869	197 / 8294	259 / 11829. 5	329 / 21202.5	340 / 22537.5
66 के.वी.	संख्या / क्षमता (एम.वी.ए.)	1 / 37	1 / 43	1 / 40	— / 32	—	—

3.4. चालू वित्तीय वर्ष की भौतिक उपलब्धियाँ :

आलोच्य वर्ष में दिसम्बर,2012 तक पूर्ण की गयी नयी उच्च प्रसारण लाइनों, चालू किये गये नये ग्रिड सब-स्टेशनों तथा ग्रिड सब-स्टेशनों की क्षमता परिवर्द्धन संबंधी पूर्ण विवरण निम्नानुसार है :

3.4.1 नयी उच्च प्रसारण लाइनें :

विवरण	परिपथ एक / दो	लम्बाई (परिपथ कि.मी.)	पूर्ण किये जाने की तिथि
400 के.वी. लाइनें			
1.जोधपुर-मेडता (द्वितीय सर्किट)	एक	97.848	27.10.2012
2. 400के.वी.छबडा तापीय विद्युत गृह -हिन्डौन लाईन के लोकेशन नं 69 से कवाई सु.की.तापीय विद्युत गृह	एक	16.362	19.12.2012
योग:		114.210	
220 के.वी. लाइनें			
1. लीलो, 220के.वी.सांगानेर-हीरापुरा लाइन, मानसरोवर के लिये	दो	5.094	31.05.2012
2. खुसखेडा-नीमराना	एक	50.600	09.06.2012
3. लीलो,220के.वी. डबल सर्किट कोटा तापीय वि.गृ.-गुलाबपुरा लाइन,220के.वी.ग्रिड सब-स्टेशन बूंदी पर	दो	8.360	30.06.2012
4. लीलो, 220के.वी.सिंगल सर्किट खुसखेडा -नीमराना लाइन, 400के.वी.ग्रिड सब-स्टेशन नीमराना (पी.जी.सी.आइ.एल.)पर	दो	5.268	23.07.2012
5. लीलो,220के.वी.सिंगल सर्किट दौसा -हिन्डौन लाइन, 220 के.वी.ग्रिड सब-स्टेशन सिकराय के लिये	दो	18.534	12.09.2012
6. लीलो,220के.वी.सिंगल सर्किट भरतपुर -मंडावर लाइन, 220 के.वी.ग्रिडसब-स्टेशन नदबई पर	दो	11.398	25.11.2012
7. भीलवाडा-मै.जिंदल साँ (डिपोजिट कार्य)	एक	1.963	13.06.2012
8. सूरतगढ-पदमपुर	एक	56.615	27.08.2012
9.उद्योग विहार-हनुमानगढ	एक	48.600	02.09.2012
10.डेचू-फलौदी	दो	71.368	08.09.2012
11. 400के.वी. ग्रिड सब स्टेशन जोधपुर-भवाड से 220के.वी.डबल सर्किट जोधपुर-भवाड-भोपालगढ लाइन का 220के.वी.डबल सर्किट सेक्शन	दो	78.318	29.12.2012
योग:		356.118	
132 के.वी. लाइनें :			
1. सपोटरा-केलादेवी	एक	22.308	27.04.2012
2. गंगापुरसिटी(220के.वी.ग्रिड सब-स्टेशन) -सपोटरा	एक	28.387	07.06.2012

3. लीलो,132के.वी. डबल सर्किट तालेरा-बूंदी लाइन,220के.वी सब-स्टेशन बूंदी पर	दो	12.544	10.07.2012
4. गंगापुरसिटी(220के.वी.ग्रिड सब-स्टेशन)-गंगापुरसिटी(132के.वी.ग्रिड सब-स्टेशन)	दो	6.900	31.07.2012
5. नीमराना(220के.वी.ग्रिड सब-स्टेशन)-मै. एस.इ.एल. टैक्सटाइल	एक	2.924	25.08.2012
6.बसेरी-सरमाथुरा	एक	27.810	31.08.2012
7. लीलो,132के.वी.सांगोद-कवाई लाइन,बापावर के लिये	दो	3.960	31.10.2012
8. 220के.वी.ग्रिडसब-स्टेशन भिवाडी-चौपन्खी लाईन की लोकेशन नं. 3 से मै.सेन्ट गोबाइन(डिपोजिट कार्य)	एक	0.227	22.10.2012
9.चौपन्खी-मै. श्री राम पिस्टन(डिपोजिट कार्य)	एक	2.931	27.11.2012
10. 132के.वी.ग्रिडसब-स्टेशन हमीरगढ-मै.नितिन स्पीनर	एक	4.301	28.06.2012
11. श्रीमाधोपुर- थोड़	एक	21.840	13.08.2012
12. लोकेशन नं. 60बी से रीको रींगस	एक	1.775	04.09.2012
13. कांकोरोली-सापोल	एक	24.076	06.11.2012
14.जावरमाइन्स-रिषभदेव	एक	33.997	23.11.2012
15. लीलो,132के.वी.आसीन्द-ब्यावर लाइन, 132के.वी.ग्रिड सब-स्टेशन परतापपुरा पर	दो	21.816	26.12.2012
16. लीलो,132के.वी.डबल सर्किट भिनासर-कोलायत लाइन,220के.वी.ग्रिड सब-स्टेशन गजनेर पर	दो	27.950	09.07.2012
17. सिन्धरी-जुनामीठा खेरा(132 सिंगल सर्किट पादरु-जुनामीठा खेरा-सिन्धरी लाइन का सैक्शन)	एक	16.692	23.07.2012
18 पादरु-जुनामीठा खेरा(शेष सैक्शन, 132 सिंगल सर्किट पादरु-जुनामीठा खेरा-सिन्धरी लाइन)	एक	12.610	15.08.2012
19.श्रीकरणपुरा-कमीनपुरा	एक	20.551	07.08.2012
20. लीलो,132के.वी.सिंगलसर्किट सावा-साटालाइन,सेडवा के लिये	दो	4.260	26.09.2012
21. लीलो,132के.वी.सिंगल सर्किट जोधपुर(220के.वी.ग्रिड सब-स्टेशन)-बनार लाइन,132के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन कुरीभगतासानी पर	दो	2.040	31.10.2012
योग:		299.899	

3.4.2 नये ग्रिड सब-स्टेशन तथा विद्यमान स्टेशनों का क्षमता परिवर्द्धन :

ग्रिड सब-स्टेशन का नाम	वोल्टेज अनुपात(के.वी./के.वी.)	क्षमता (एम.वी.ए.)	चालू करने की दिनांक
अ. नवीन ग्रिड सब-स्टेशन :			
400 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन	-	-	-
220 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन			
1. सिकराय	220 / 132	100	16.10.2012
2. बूंदी	220 / 132	100	06.11.2012
3. नदबई	220 / 132	100	25.11.2012
132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन			
1. पुष्कर	132 / 33	20 / 25	11.04.2012
2. रसूलपुरा	132 / 33	20 / 25	09.05.2012
3. रीको, भीलवाडा	132 / 33	20 / 25	30.06.2012
4. कैला देवी	132 / 33	20 / 25	30.06.2012
5. गुलूवाला	132 / 33	20 / 25	27.07.2012
6. सरमाथुरा	132 / 33	20 / 25	31.08.2012
7. थोई	132 / 33	20 / 25	03.09.2012
8. पीनन	132 / 33	20 / 25	26.09.2012
9. कुरी भगतासनी	132 / 33	37.5 / 50	31.10.2012
कुरी भगतासनी	132 / 33	37.5 / 50	31.10.2012
10. बापावर	132 / 33	20 / 25	05.11.2012
11. परतापुर	132 / 33	20 / 25	05.12.2012
12. परतापपुरा	132 / 33	20 / 25	28.12.2012
13. कमीनपुरा	132 / 33	20 / 25	30.12.2012
योग:		400	
गत वर्ष प्रारम्भ 220के.वी.ग्रिड सब-स्टेशन पर 220/132 के.वी.का अतिरिक्त ट्रांसफार्मर, योजनान्तर्गत			
डेचू	220 / 132	100	10.05.2012
नये 220के.वी.ग्रिड सब-स्टेशनों पर अतिरिक्त ट्रांसफार्मर, योजनान्तर्गत			
बूंदी	132 / 33	20 / 25	06.11.2012
गजनेर	132 / 33	20 / 25	08.12.2012
पूर्व में प्रारम्भ 132के.वी.ग्रिड सब-स्टेशनों पर अतिरिक्त ट्रांसफार्मर, योजनान्तर्गत			
बाप	132 / 33	20 / 25	14.04.2012
बाप	132 / 33	40 / 50	12.10.2012
बाप	132 / 33	-20 / 25	
पी.एस.-1 (पी.एच.इ.डी.का डिपोजिट कार्य)	132 / 33	20 / 25	30.11.2012
क्षमता परिवर्द्धन :			

400 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन			
1.मेडता सिटी	400 / 220 / 132	315	12.06.2012
220 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन			
1.खुसखेडा	132 / 33	20 / 25	05.05.2012
खुसखेडा	132 / 33	-10 / 12.5	
खुसखेडा	132 / 33	40 / 50	31.08.2012
खुसखेडा	132 / 33	-20 / 25	
2.भिवाडी	220 / 132	160	24.09.2012
भिवाडी	220 / 132	-100	
3.सवाईमाधोपुर	132 / 33	40 / 50	01.11.2012
सवाईमाधोपुर	132 / 33	-20 / 25	
4.एम.आई.ए.,अलवर	132 / 33	40 / 50	26.12.2012
एम.आई.ए.,अलवर	132 / 33	-10 / 12.5	
5.अजमेर	220 / 132	160	09.05.2012
अजमेर	220 / 132	-100	
6.नागौर	132 / 33	20 / 25	13.06.2012
नागौर	132 / 33	-16 / 20	
7.चिडावा	132 / 33	40 / 50	21.09.2012
चिडावा	132 / 33	-10 / 12.5	
8.बांसवाडा	132 / 33	40 / 50	30.10.2012
बांसवाडा	132 / 33	-20 / 25	
9.श्रीडूंगरगढ	132 / 33	20 / 25	30.05.2012
10.जोधपुर	220 / 132	160	09.08.2012
जोधपुर	220 / 132	-100	
11.नोखा	220 / 132	100	28.08.2012
12.अमरसागर	220 / 132	160	18.10.2012
अमरसागर	220 / 132	-100	
13.भीनमाल	132 / 33	40 / 50	30.10.2012
भीनमाल	132 / 33	-2'10 / 12.5	
14.बाली	132 / 33	20 / 25	27.12.2012
बाली	132 / 33	-10 / 12.5	
132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन			
1.कांमा	132 / 33	20 / 25	13.04.2012
2.गोविन्दगढ	132 / 33	20 / 25	13.09.2012
3.खंडार	132 / 33	10 / 12.5	20.09.2012
4.मानसरोवर	132 / 33	40 / 50	22.10.2012
मानसरोवर	132 / 33	-20 / 25	
5.भादोती	132 / 33	10 / 12.5	29.12.2012
6.भैरुन्दा कलां	132 / 33	20 / 25	11.04.2012
7.बबई	132 / 33	20 / 25	28.05.2012
8.बीगोद	132 / 33	20 / 25	29.05.2012
9.दांता	132 / 33	20 / 25	04.06.2012

10.बिजौलिया	132 / 33	20 / 25	08.06.2012
11.भदेशर	132 / 33	20 / 25	29.08.2012
12.बरोली	132 / 33	10 / 12.5	12.09.2012
13.बिडियाद	132 / 33	20 / 25	17.09.2012
14.सुखेर	132 / 33	40 / 50	06.10.2012
सुखेर	132 / 33	-20 / 25	
15.करेरा	132 / 33	20 / 25	19.10.2012
16.मेडतासिटी	132 / 33	40 / 50	13.11.2012
मेडतासिटी	132 / 33	-2'10 / 12.5	
17.दुलनिया	132 / 33	20 / 25	21.12.2012
18.डूंगरपुर	132 / 33	40 / 50	24.12.2012
डूंगरपुर	132 / 33	-2'10 / 12.5	
19.बालेसर	132 / 33	10 / 12.5	20.04.2012
20.दुलचासर	132 / 33	20 / 25	31.05.2012
21.सादुलपुर	132 / 33	20 / 25	04.06.2012
सादुलपुर	132 / 33	-10 / 12.5	
22.मोमासर	132 / 33	20 / 25	06.06.2012
23.बागोरा	132 / 33	20 / 25	14.06.2012
24.सुमेरपुर	132 / 33	20 / 25	30.07.2012
सुमेरपुर	132 / 33	-10 / 12.5	
25.मान्डावाला	132 / 33	20 / 25	31.07.2012
26.टैगोर नगर	132 / 33	20 / 25	09.10.2012
27.पिपलियाकलां	132 / 33	10 / 12.5	31.12.2012
क्षमता परिवर्द्धन (220 के.वी. एवं 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशनों पर)		1472.5	
पुनर्स्थापित जले/फेल ट्रांसफोरमर			
220के.वी.ग्रिड सब-स्टेशन			
1.सीकर	132 / 11	10 / 12.5	11.11.2012
सीकर	132 / 11	-16 / 20	15.10.2012
132के.वी.ग्रिड सब-स्टेशन			
1.मोडक	132 / 33	20 / 25	15.10.2012
मोडक	132 / 33	-20 / 25	
2.बगरु	132 / 11	10 / 12.5	13.04.2012
बगरु	132 / 11	-10 / 12.5	22.11.2008
पुनर्स्थापित जले/फेल ट्रांसफोरमरों की कुल क्षमता		-7.5	
कुल क्षमता परिवर्द्धन		1465.0	

3.4.3वर्ष के दौरान कैपेसिटर बैंकों सम्बन्धित उपलब्धि :

क्रम सं.	सब-स्टेशन का नाम	क्षमता(एम. वी.ए.आर.)	चालू करने की दिनांक
1	132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन, कंवरी	5.43	24.04.2012
2	132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन, इकलेरा	5.43	27.04.2012
3	132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन, खंडार	5.43	30.04.2012
4	132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन, अटरु	5.43	07.05.2012
5	132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन, लालसोट	5.43	07.05.2012
6	132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन, अन्ता	5.43	12.05.2012
7	132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन, दूदू	5.43	25.07.2012
8	132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन, चंपापुरा	5.43	30.11.2012
9	132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन, राजाखेडा	5.43	01.11.2012
10	132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन, तालेरा	5.43	10.11.2012
11	132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन, अटरु	5.43	30.11.2012
12	132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन, हिन्डोली	5.43	30.11.2012
13	132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन, रामगढ	5.43	04.12.2012
14	132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन, लक्ष्मणगढ	5.43	04.12.2012
15	132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन, मंडाना टाउन	5.43	11.12.2012
16	132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन, छीपाबडोद	5.43	12.12.2012
17	132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन, तिजारा	5.43	15.12.2012
18	132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन, देवली मांझी	5.43	24.12.2012
19	132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन, नांगली	5.43	24.04.2012
20	132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन, रीको रींगस	5.43	04.05.2012
21	132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन, खंडेला मोड	5.43	04.05.2012
22	132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन, करेरा	5.43	05.05.2012
23	132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन, मेडता रोड	5.43	18.05.2012
24	132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन, नार्वा	5.43	10.05.2012
25	132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन, रून	5.43	15.06.2012
26	132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन, अजोलिया का खेडा	2'5.43	28.06.2012
27	132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन, गोटन	5.43	28.06.2012
28	132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन, कपासन	5.43	05.07.2012
29	132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन, धारीयावाद	5.43	27.09.2012
30	132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन, दूलनिया	5.43	15.10.2012
31	132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन, रशमी	5.43	30.10.2012
32	132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन, पाटन	2'5.43	03.11.2012
33	132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन, सुवाना	5.43	17.11.2012
34	132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन, कुमावास	5.43	19.11.2012
35	132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन, पुष्कर रोड	5.43	05.12.2012
36	132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन, जहाजपुर	5.43	17.12.2012
37	132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन, खाटूश्याम जी	5.43	21.12.2012
38	132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन, पुष्कर	5.43	24.12.2012
39	132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन, पारेवारा	5.43	10.04.2012

40	132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन, तहेनदेसर	5.43	11.04.2012
41	132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन, दुलाचासर	5.43	18.04.2012
42	132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन, मोमासर	5.43	26.04.2012
43	132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन, पाटलीसर फांटा	5.43	26.04.2012
44	220 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन, रतनगढ	5.43	27.04.2012
45	132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन, उपानी	5.43	29.04.2012
46	132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन, जसरासर	5.43	30.04.2012
47	132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन, भीनासर	5.43	30.04.2012
48	132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन, सादुलपुर	5.43	09.05.2012
49	220 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन, बोरानाडा	5.43	11.05.2012
50	132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन, रीरी	5.43	24.05.2012
51	220 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन, श्रीडुगरगढ	5.43	24.05.2012
52	132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन, संवरीज	5.43	15.06.2012
53	132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन, बडगांव	5.43	18.06.2012
54	132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन, पूनासा	5.43	19.06.2012
55	132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन, रानासर	5.43	22.06.2012
56	132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन, साटा	5.43	26.06.2012
57	132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन, टैगोर नगर	5.43	26.07.2012
58	132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन, उन्डू	5.43	29.08.2012
59	132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन, सांकड	5.43	12.10.2012
60	132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन, गुलुवाला	5.43	12.10.2012
61	132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन, बगरा	5.43	19.10.2012
62	132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन, पादरू	5.43	19.10.2012
63	132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन, जीवाना	5.43	10.12.2012
64	132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन, गलीफा	5.43	17.12.2012
65	132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन, भादूरना	5.43	18.12.2012
	योग:	358.38	

4. विचाराधीन एवं अन्य विद्युत उत्पादन योजनायें (भागीदारी एवं निजी क्षेत्र)

4.1 भागीदारी योजनायें :

क. राहूघाट विद्युत परियोजना-कास्केड चम्बल पन विद्युत परियोजना :

राहूघाट परियोजना के अन्तर्गत चम्बल नदी पर करौली क्षेत्र में चार बांध बनाने व उन पर स्थापित विद्युत गृहों से कुल 270 मेगावाट(सम्भावित) विद्युत उत्पादन, राजस्थान व मध्य प्रदेश की 50:50 भागीदारी के आधार पर प्रस्तावित था। नवीनतम परिस्थिति के अनुसार संयुक्त निदेशक (वन्य जीव), भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक 5 जून 2012 द्वारा मुख्य वन्य जीव संरक्षक, राजस्थान सरकार को सूचित किया है कि भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने एन.बी.डब्लू.एल. स्टैंडिंग कमेटी की 22वीं बैठक दिनांक 25 अप्रैल 2011 में लिये गये निर्णय में राहूघाट परियोजना को भी चम्बल नदी पर स्थापित करने हेतु सिफारिश कर दी गयी है।

ख.पार्वती पन विद्युत परियोजना (द्वितीय चरण 800 मेगावाट व तृतीय चरण 520 मेगावाट) :

राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, हरियाणा व दिल्ली राज्यों के बीच पार्वती पन विद्युत परियोजना को लेकर 20 अक्टूबर, 1992 को हुए सहमति पत्र के अन्तर्गत राजस्थान को 40 प्रतिशत हिस्सा तय हुआ था। बाद में यह परियोजना नेशनल हाइड्रो पावर कारपोरेशन को स्थानान्तरित हो गयी। इस परियोजना में राजस्थान का हिस्सा सुरक्षित रखने हेतु, राज्य सरकार द्वारा 4 मई, 2002 को रा.रा.वि.प्र.नि. को केन्द्रीय आवंटन फार्मूले के अनुसार परियोजना के चरण द्वितीय एवं तृतीय से विद्युत कय अनुबंध करने के लिये अधिकृत किया गया। दिनांक 8 मई, 2003 को राष्ट्रीय जल विद्युत निगम तथा प्रसारण निगम के मध्य पार्वती जल विद्युत परियोजना (चरण द्वितीय एवं तृतीय) से विद्युत कय करने हेतु एक विद्युत कय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। पूर्व में किये गये समझौते के मध्यनजर इस अनुबंध में यह प्रावधान किया गया है कि इससे पूर्व में किये गये समझौते में तय किये गये राजस्थान के अधिक हिस्से की दावेदारी को अनदेखा नहीं किया जावेगा।

ग. कोल बांध जल विद्युत परियोजना :

हिमाचल प्रदेश और राजस्थान सरकार के मध्य कोल बांध जल विद्युत परियोजना (800 मेगावाट) पर सहमति हेतु एक करार पर 30 जून, 1984 को हस्ताक्षर हुए। समुचित वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण इस परियोजना पर कार्य नहीं हो सका। बाद में उक्त परियोजना को केन्द्रीय क्षेत्र में क्रियान्वयन हेतु नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन को दे दिया गया। इस परियोजना से उत्पन्न विद्युत के कय हेतु एन.टी.पी.सी. से दिनांक 10.9.2002 को समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसके तहत राजस्थान को केन्द्रीय फार्मूले के अनुसार विद्युत आवंटन होगी।

4.2 केन्द्रीय उपक्रम के आधीन विद्युत उत्पादन योजना :

बरसिंहसर लिग्नाईट आधारित विद्युत परियोजना :

राजस्थान के पश्चिमी भाग के जैसलमेर, बाडमेर, बीकानेर एवं नागौर जिलों में लिग्नाईट के विपुल भण्डार, लगभग 2500 मिलियन टन है, जिनसे 1500 से 2000 मेगावाट तक विद्युत उत्पादन

संभावित है । लिग्नाईट के इन विपुल भण्डारों के दोहन हेतु राज्य सरकारें समय समय पर प्रयासरत रही हैं। इस उद्देश्य से राज्य सरकार ने बरसिंहसर, जिला बीकानेर में लिग्नाईट खनन एवं विद्युत उत्पादन परियोजना हेतु मैसर्स नेवेली लिग्नाईट कॉरपोरेशन एवं कोयला मंत्रालय के साथ एक एम.ओ.यू. पर दिनांक 10.6.2002 को हस्ताक्षर किये । इसके तहत प्रथम चरण में मैसर्स एन.एल.सी., बरसिंहसर में, बरसिंहसर एवं पलाना ब्लाक्स के लिग्नाईट भण्डार का उपयोग कर, 2ग125 मेगावाट की यूनिट लगायेगी, जिससे उत्पादित होने वाली पूर्ण ऊर्जा राजस्थान राज्य को आवंटित की जा चुकी है । इस परियोजना हेतु विद्युत क्रय अनुबन्ध पर मैसर्स एन.एल.सी., प्रसारण निगम एवं तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों के मध्य दिनांक 8.10.2003 को हस्ताक्षर हुए हैं । भारत सरकार ने दिनांक 15.12.2004 को इस परियोजना को स्वीकृति दी । राज्य सरकार द्वारा दिनांक 2.3.2006 को माइनिंग लीज की स्वीकृति जारी की गयी तथा 30.8.2006 को माइनिंग लीज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए। प्रथम इकाई से कॉमर्शियल उत्पादन दिनांक 20.01.2012 से तथा द्वितीय इकाई से कॉमर्शियल उत्पादन दिनांक 29.12.2011 से प्रारम्भ हो चुका है।

4.3 निजी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन योजनायें:

कपूरडी एवं जालीपा:

मैसर्स राजवेस्ट पावर ,जयपुर को इन दो स्थानों में विद्युत गृह स्थापना के लिये दिनांक 13.11.1996 को स्पॉन्सर घोषित किया गया था। उक्त कम्पनी ने राज्य के साथ इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट व रा.रा.वि.प्र.नि. के साथ विद्युत क्रय समझौता नहीं किया था। राज्य सरकार ने मैसर्स राजवेस्ट पावर को कन्सोर्टियम को अन्तिम रूप देने एवं विद्युत क्रय समझौते पर हस्ताक्षर करने हेतु 30.04.2003 तक का अन्तिम समय दिया था तथा कम्पनी को यह लिख दिया था कि उक्त दिनांक तक अनुबन्ध न होने पर परियोजना को बन्द समझा जावेगा। किन्तु परियोजना की महत्ता को समझते हुए राज्य सरकार द्वारा 28.01.06 को मैसर्स राजवेस्ट पावर को 9 माह की अवधि में कन्सोर्टियम का गठन करने एवं राज्य की विद्युत कम्पनियों के साथ पी.पी.ए. हस्ताक्षरित करने का समय दिया। मैसर्स राजवेस्ट पावर ने राज्य सरकार के साथ इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट पर 29.05.06 को व विद्युत वितरण निगमों के साथ 26.10.06 को 1000 मेगावाट क्षमता के लिये विद्युत क्रय समझौते पर हस्ताक्षर कर दिये हैं। राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा परियोजना की लागत ,ईंधन दर एवं विद्युत दर का सैद्धान्तिक निर्धारण कर दिया गया है। परियोजना का वित्तीय समापन हो गया है तथा परियोजना हेतु आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त हो गयी हैं। लिग्नाईट के खनन हेतु मैसर्स आर.एस.एम.एम.एल. के साथ सहयोगी कम्पनी बना ली गयी है। इस परियोजना की प्रथम इकाई (135 मे.वा.) से माह नवम्बर,2009 से, द्वितीय इकाई (135 मे.वा.) से माह अक्टूबर,2010 से, तृतीय इकाई से नवम्बर,2011से, एवम चतुर्थ इकाई से दिसम्बर,2011से विद्युत उत्पादन प्रारम्भ हो चुका है। कम्पनी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर बाकी चार इकाईयों को तेल पर सिन्क्रोनाइजेशन किया जा चुका है तथा लिग्नाईट की उपलब्धता पर वाणिज्यिक उत्पादन संभव होगा।

4.4 गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत नीति के तहत परियोजनायें:

(क) पवन ऊर्जा आधारित संयंत्र :

राज्य में पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की अपार संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये इससे विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2000 ,2003, 2004 एवं 2012 में विभिन्न पवन ऊर्जा नीतियाँ जारी की गयी। राज्य सरकार द्वारा जारी इन नीतियों के फलस्वरूप राज्य में माह दिसम्बर,2012 तक कुल 2260.295 मेगावाट क्षमता के पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त आगामी तीन वर्षों में निजी क्षेत्र की भागीदारी से 1200 मेगावाट क्षमता के अतिरिक्त संयंत्र स्थापित होने की संभावना है।

(ख) बायोमास पर आधारित परियोजनायें :

बायोमास आधारित विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु फरवरी , 2010 में एक नई बायोमास नीति जारी की गयी थी । इस नीति के प्रावधानों के फलस्वरूप निजी निवेशकों ने बायोमास आधारित विद्युत परियोजना लगाने में रुचि दिखाई है तथा गत दो वर्षों में 365 मेगावाट

की परियोजनाएँ निजी निवेशकों ने पंजीकृत कराई है। विगत तीन वर्षों में 60 मेगावाट की परियोजनाएँ स्थापित की गयी हैं। इस प्रकार राज्य में माह दिसम्बर, 2012 तक कुल 10 परियोजनाएँ 106.3 मेगावाट क्षमता की स्थापित हो चुकी है। वित्तीय वर्ष 2012-13 में 15.5 मेगावाट क्षमता की अतिरिक्त, बायोमास आधारित परियोजनाएँ स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

(ग) सौर ऊर्जा:

राज्य में सौर ऊर्जा के माध्यम से निम्न सौर परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है :-

1. भारत सरकार की जीबीआई स्कीम के तहत 8 मेगावाट की 2 परियोजनाएँ।
2. राष्ट्रीय सोलर मिशन की माईग्रेशन स्कीम में कुल 66 मेगावाट की 11 परियोजनाएँ स्वीकृत हुई, इनमें से 35 मेगावाट क्षमता की 7 परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन हो रहा है।
3. भारत सरकार द्वारा जारी आरपीएसएसजीपी स्कीम के तहत 1-1 मेगावाट की 12 परियोजनाएँ स्वीकृत हुई हैं एवं समस्त परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन हो रहा है।
4. राष्ट्रीय सोलर मिशन के अन्तर्गत राजस्थान को फेज-1 बेच-1 के तहत कुल स्वीकृत 100 मेगावाट क्षमता सोलर पीवी की 20 परियोजनाएँ एवं 400 मेगावाट की सोलर थर्मल परियोजनाएँ आवंटित हुई हैं इनमें से 100 मेगावाट पीवी से विद्युत उत्पादन हो रहा है एवं सोलर थर्मल परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है जिसके मई 2013 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।
5. राष्ट्रीय सोलर मिशन के अन्तर्गत राजस्थान को फेज-1 बेच-2 के तहत कुल स्वीकृत 295 मेगावाट क्षमता सोलर पीवी की 24 परियोजनाएँ आवंटित की गईं। जिनमें से 6 परियोजनाएँ 75 मेगावाट क्षमता की 31.01.2013 तक स्थापित हो चुकी हैं जिनसे विद्युत उत्पादन हो रहा है। शेष 18 परियोजनाएँ 220 मेगावाट क्षमता का कार्य प्रगति पर है। राज्य में 31 जनवरी 2013 तक कुल 276 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएँ स्थापित हो चुकी हैं।
6. भारत सरकार की केन्द्रीय वित्तीय योजना के तहत निगम द्वारा एम.एन.आर.ई. के प्रदर्शन परियोजना के तहत 1 मेगावाट की परियोजना गांव फागी (जयपुर) में माह मार्च 2012 में स्थापित हो चुकी है।
7. राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान सौर ऊर्जा नीति-2011 दिनांक 19.04.2011 को जारी की जा चुकी है। इस नीति के तहत ओपन एक्सेस योजना में स्वीकृत 40 मेगावाट क्षमता के फोटोवोल्टाईक परियोजना की स्थापना मार्च 2012 में हो चुकी है एवं 150 मेगावाट क्षमता की 1 परियोजना की एसएलएससी स्वीकृति जारी की जा चुकी है।
8. राजस्थान सौर विद्युत नीति-2011 के अन्तर्गत आरईसी मैकेनिज्म योजना में कुल 18.85 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएँ स्वीकृत की गई है, जिसमें से 2.85 मेगावाट क्षमता स्थापित हो चुकी है एवं शेष पर कार्य प्रगति पर है।
9. राजस्थान सौर विद्युत नीति-2011 के अन्तर्गत राज्य सरकार ने 100 मेगावाट सोलर फोटोवोल्टेक एवं 100 मेगावाट सोलर थर्मल आधारित विद्युत उत्पादन परियोजनाओं हेतु उत्पादनकर्ताओं के चयन हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये जा चुके हैं। इसके पश्चात अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।
10. राजस्थान सौर विद्युत नीति-2011 के अन्तर्गत राज्य सरकार ने 50 मेगावाट सोलर फोटोवोल्टेक एवं 50 मेगावाट सोलर थर्मल आधारित विद्युत उत्पादन की परियोजनाओं के बण्डल पावर चयन हेतु प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए प्रारूप तैयार कर लिया गया है एवं इस पर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

भारत सरकार ने जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन 19.11.2009 को जारी किया है। जिसके तहत सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। राज्य में सौर ऊर्जा प्रचूर मात्रा में उपलब्ध है। जिसके कारण सौर पॉवर निवेशकों ने राजस्थान में सौर ऊर्जा प्लांट लगाने का उत्साह प्रकट किया है। अक्षय ऊर्जा में अब तक 835 कम्पनियों ने लगभग 17771 मेगावाट क्षमता के प्लांट लगाने हेतु अपने प्रोजेक्ट्स को पंजीकृत करवा लिया है।

5. विद्युत उत्पादन क्षमता

5.1 वर्ष 2011-12 की समाप्ति पर राज्य की कुल उत्पादन क्षमता 10308.45 मेगावाट थी । वर्ष 2012-13 (दिसम्बर,12 तक) में केन्द्रीय परियोजनाओं से आंवटन के अन्तर्गत कोटेश्वर पन विद्युत गृह की चतुर्थ इकाई से 8.36 मेगावाट, चमेरा पन विद्युत गृह की तीन इकाईयों से 25.20मेगावाट तथा रिहन्द तापीय विद्युत गृह की पंचम इकाई से 57.62 मेगावाट की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त जिला जैसलमेर में पवन विद्युत गृहों से 193.25 मेगावाट तथा सोलर विद्युत गृहों की स्थापना से 22.85 मेगावाट की वृद्धि हुई है। इस प्रकार वर्ष 2012-13 (दिसम्बर,12 तक) राज्य की कुल उत्पादन क्षमता 10615.73 मेगावाट(प्रोविजनल) रही ।

5.2 राज्य को उपलब्ध उत्पादन क्षमता का स्रोतवार विवरण निम्नानुसार है :-

स्रोत	वर्ष 2011-12की समाप्ति पर	वर्ष 2012-13 (दिसम्बर,12 तक)
(मेगावाट)		
1.राज्य के भागीदारी/ स्वयं द्वारा संचालित :		
क. तापीय	3615.00	3615.00
ख. पन	1011.80	1011.80
ग. गैसीय	443.50	443.50
योग-1	5070.30	5070.30
2.केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित एवं राज्य को आवंटित		
क. तापीय	983.88	1041.49
ख. पन	503.58	537.15
ग. गैसीय	221.10	221.10
घ. आणविक	556.74	556.74
योग-2	2265.30	2356.48
3.आर.आर.ई.सी.,आर.एस.एम.एम.लि.व अन्य निजी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा संचालित:		
पवन	2067.05	2260.30
बायोमास	91.30	91.30
सोलर	198.50	221.35
तापीय	616.00	616.00
योग-3	2972.85	3188.95
योग(1+2+3)	10308.45	10615.73

6. विद्युत क्षेत्र सुधार कार्यक्रम

6.1 विद्युत क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता पर राष्ट्रीय आम सहमति एवं न्यूनतम आवश्यक राष्ट्रीय कार्य योजना के अन्तर्गत 1998 में भारत सरकार ने विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 को कार्यान्वित किया। विद्युत क्षेत्र सुधार कार्यक्रम में राजस्थान का स्थान अग्रिम श्रेणी में रहा है। विद्युत क्षेत्र में दायित्वों के विशिष्टीकरण, विकेन्द्रीकरण, स्वायत्तता तथा निर्णायक उत्तरदायित्वों को प्रोत्साहित करने, निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहन, विद्युत क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्रों में उत्तरोत्तर प्रतिस्पर्धा बढ़ाने, तथा क्षेत्र के प्रभावी, कार्य-कुशल एवं स्वतंत्र नियमन के लिए दिनांक 19 जुलाई, 2000 को राज्य विद्युत मंडल के कार्यों का भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत निम्न, उत्पादन, प्रसारण एवं वितरण की तीन, अलग-अलग कम्पनियों में विभाजन कर गठित किया गया :-

1. राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
2. राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
3. जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
4. अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
5. जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

6.2 राजस्थान पावर सैक्टर सुधार अधिनियम के अनुरूप, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम का कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पंजीकरण 19 जून, 2000 को हो गया तथा राज्य सरकार ने दिनांक 19 जुलाई, 2000 को आदेश जारी कर अधिनियम, 1910 की धारा 27 (बी) के तहत राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम को स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी (एसटीयू) घोषित किया।

6.3 विद्युत अधिनियम 2003 का क्रियान्वयन :

अ. राज्य सरकार ने दिनांक 29.1.2004 को अधिसूचना द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 39(1) के अधीन राज्य प्रसारण निकाय (एसटीयू) घोषित किया है।

ब. भारत सरकार द्वारा 10 जून, 2003 से विद्युत अधिनियम, 2003 लागू कर दिया गया है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एसटीयू (प्रसारण कम्पनी) विद्युत के क्रय विक्रय संबंधी क्रियाकलाप नहीं कर सकेगी। इसी सन्दर्भ में राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 28.2.2004 द्वारा प्रसारण निगम से 1.4.2004 से थोक प्रदाय (विद्युत क्रय विक्रय की) गतिविधि पृथक कर संबंधित अधिकार राज्य की तीनों वितरण कम्पनियों में समाहित कर दिये, तभी से राज्य की तीनों वितरण कम्पनियां अपनी आवश्यकता की विद्युत निर्धारित अलोकेशन के अनुसार सीधे केन्द्र या राज्य की उत्पादन इकाइयों से वितरण निगमों के लिए नवगठित राजस्थान डिस्कॉमस् पावर प्रोक्योरमेंट सेन्टर के माध्यम से क्रय कर रही हैं।

स. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 39, 40 के अन्तर्गत राजकीय प्रसारण निकाय (एस.टी.यू.) द्वारा उपभोक्ताओं को ओपन एक्सेस के लिए प्रसारण तंत्र की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। अधिनियम की धारा 42 एवं 180 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए राजस्थान विद्युत नियामक आयोग ने अधिसूचना सं. 25 दिनांक 26.5.2004 द्वारा ओपन एक्सेस के विनियम जारी कर दिये हैं। 1 एम.वी.ए. एवं इससे अधिक भार वाले उपभोक्ता 1.4.2008 से इस सुविधा का उपयोग

कर सकते हैं। इस संदर्भ में निगम द्वारा राज्य नियामक आयोग के द्वारा अधिसूचित ओपन एक्सेस नियमों की पालना में दीर्घकालीन व लघुकालीन ओपन एक्सेस के लिए प्रक्रिया निर्धारित कर दी है ।

6.4 विद्युत सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित सलाहकार नियुक्त किये गये हैं :-

क. प्रसारण कम्पनी में आई.एस.ओ. 9001:2008 प्रमाण पत्र :-

प्रसारण कम्पनी को क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम आई.एस.ओ. 9001:2000 प्रमाणीकरण हेतु मैसर्स इन्टरनेशनल सर्टिफिकेशन सर्विसेज प्रा.लि. मुम्बई को चयनित किया गया, जिसके द्वारा प्रथम एवं द्वितीय चरण में नियमानुसार रा.रा.वि.प्र.नि. के विभिन्न कार्यालयों की आडिट की गयी। तत्पश्चात् प्रसारण कम्पनी को, अन्तर्राष्ट्रीय क्वालिटी मानकों पर खरा उतरने के पश्चात् दिनांक 5 जून, 2008 को आई.एस.ओ. 9001:2000 प्रमाण पत्र जारी किया गया। माह जून, 2009 में प्रथम सर्वेलेन्स आडिट कर मै. इन्टरनेशनल सर्टिफिकेशन सर्विसेज द्वारा सफलता प्रमाण पत्र दिया गया। इसी दौरान अन्तर्राष्ट्रीय मानक संस्था द्वारा स्टेण्डर्ड के नवीनीकरण कर आई.एस.ओ. 9001:2008 जारी किया गया, अतः प्रसारण निगम द्वारा भी अपने डॉक्यूमेंट, क्वालिटी मैनुअल इत्यादि का अपग्रेडेशन नवीन मानक के अनुसार किया गया व तत्पश्चात् मैसर्स इन्टरनेशनल सर्टिफिकेशन सर्विसेज द्वारा द्वितीय सर्वेलेन्स आडिट आई.एस.ओ. 9001:2008 के मानकों के अनुसार की गयी तथा नवम्बर, 2010 में प्रसारण निगम को आई.एस.ओ. 9001:2008 प्रमाणित संस्था का प्रमाण पत्र दिया गया। मै. आई.सी. एस. द्वारा वर्ष 2012 की सर्वेलेन्स आडिट सफलतापूर्वक करवा ली गयी है। आई.एस.ओ. 9001:2008 प्रमाण पत्र 3 जून, 2014 तक वैध है। नवीनतम मानकों के अनुसार इन्टर्नल ऑडिटर्स का प्रशिक्षण जारी है एवं प्रशिक्षित ऑडिटर्स द्वारा सारे कार्यालयों की इन्टर्नल क्वालिटी ऑडिट प्रक्रियाधीन है।

ख. केन्द्र सरकार की नीति (टैरिफ बेस्ड कम्पीटिटिव बिडिंग) के अन्तर्गत निजी क्षेत्र से केस-1 व

केस-2 के तहत ऊर्जा क्रय करना :-

मै. पी.एफ.सी. कन्सलटिंग लि., नई दिल्ली को केस -1 व केस-2 के अन्तर्गत निजी क्षेत्र से ऊर्जा क्रय हेतु निजी क्षेत्र के भागीदारों का चयन करने के लिये सलाहकार नियुक्त किया गया ।

केस-1(!) कवर्ड (बारा) उर्जा संयंत्र (1200मेगावाट) परियोजना: बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1200 मेगावाट क्षमता की विद्युत आपूर्ति निजी क्षेत्र द्वारा किये जाने हेतु निविदायें आमन्त्रित की गयी। प्राप्त निविदाओं के मूल्यांकन के उपरान्त मै. अडानी पावर राजस्थान लि. (चयनित निर्माणकर्ता) से 1200 मेगावाट हेतु दिनांक 28.01.2010 को विद्युत क्रय अनुबन्ध निष्पादित किया गया। इस परियोजना में मै. अडानी पावर राजस्थान लि. द्वारा विद्युत संयंत्र कवर्ड(बारा)में लगाये जाने की प्रक्रिया जारी है। इस संयंत्र से विद्युत उपलब्धता दिनांक 31.08. 2013 से प्रस्तावित है। परियोजना प्रायोजक द्वारा प्रथम इकाई (660 मेगावाट) से विद्युत उत्पादन वर्ष 2012-13 में ही प्रारम्भ करने के प्रयास किये जा रहे हैं। राजस्थान विद्युत नियामक आयोग के आदेश दिनांक 31.05.2010 के द्वारा लेवलाइज्ड टैरिफ रु. 3.2383/यूनिट को भी अपना लिया गया।

केस-1(!!) राज्य की वितरण कम्पनियों की ओर से 1000मे.वा. विद्युत, केन्द्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप दीर्घकालीन क्रय करने हेतु रा.रा.वि.प्र.नि. ने प्रस्ताव आमन्त्रित कर दिनांक 18.09.2012 को अवितीय प्रस्ताव खोल लिये गये हैं। अवितीय प्रस्तावों के मूल्यांकन के पश्चात् वित्तीय प्रस्ताव के आधार पर निजी कम्पनी का चयन किया जायेगा जिसके साथ वितरण निगम क्रय अनुबन्ध करेंगी।

केस-2(!) इसके अन्तर्गत निजी क्षेत्र द्वारा 1320 मेगावाट क्षमता का विद्युत उत्पादन संयंत्र पूर्व में राजस्थान के छबड़ा (बारा) में प्रस्तावित था जिसे राजस्थान सरकार के आदेश द्वारा अब

बांसवाडा जिले में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इस कार्य के लिये एक नई कम्पनी "बांसवाडा थर्मल पावर कम्पनी लि". का पंजीकरण रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज द्वारा करा लिया गया है। कम्पनी के निदेशकों की नियुक्ति भी कर दी गयी है। कोल लिंकेज व कोल ब्लॉक आवंटन हेतु दिनांक 16.04.2009 को भारत सरकार के कोयला मंत्रालय में आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है। राजस्थान सरकार द्वारा पानी का आवंटन भी कर दिया गया है। इस परियोजना हेतु 1306 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। भूमि के अधिग्रहण के लिये रु. 2.26 करोड़ (सरकारी भूमि) व रु 31.19 करोड़ (खातेदारी भूमि) राज्य सरकार के भूमि अवाप्ति अधिकारी बांसवाडा को दिये जा चुके हैं। भूमि पर चारदिवारी बनवाने का निर्णय कर कार्यवाही की जा रही है। राज्य विद्युत् नियामक आयोग के आदेश दि.11.08.2009 के अनुसार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, प्रसारण निगम द्वारा, नये आर.एफ.क्यू. जारी करने की कार्यवाही, कोयला आवंटन के पश्चात् ही किये जाने का निर्णय लिया गया। इस परियोजना हेतु ईंधन आपूर्ति के लिये दिनांक 29.12.2011 को कोल ब्लॉक तथा कोल लिंकेज के लिये कोल मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को पुनः प्रार्थना की गयी है। परियोजना के लिये रेल लाईन रतलाम से डूंगरपुर वाया बांसवाडा बनाये जाने के लिये राज्य सरकार द्वारा दिनांक 07.12.2012 को रेल मंत्रालय को रेलवे लाइन के निर्माण की 50 प्रतिशत राशि उपलब्ध करवाने हेतु मंजूरी दे दी गयी है। रेलवे लाईन की राज्य सरकार द्वारा वहन की जाने वाली राशि (1200 करोड़ रुपये) का 50 प्रतिशत इस परियोजना के चयनित निर्माणकर्ता द्वारा एवं शेष 50 प्रतिशत राशि को राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा भुगतान किया जाना प्रस्तावित है।

केस-2(!!) इसके अन्तर्गत निजी क्षेत्र द्वारा 70 मेगावाट क्षमता का विद्युत उत्पादन संयंत्र राजस्थान के गुढा (पश्चिम) बीकानेर में, राजस्थान सरकार के आदेश द्वारा स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिये विद्युत उत्पादक का चयन करने के लिए मैसर्स पावर फाइनेंस कारपोरेशन को कार्यादेश जारी कर दिया गया तथा पावर प्राजेक्ट के लिए भूमि आवंटन हेतु आर. एस.एम.एम.लि. ने सहमति प्रदान की है। पर्यावरण प्रभाव के अध्ययन के लिए पर्यावरण नियंत्रण मण्डल ने टी.ओ.आर. को दिनांक 24.06.2009 एवं पर्यावरण स्वीकृति दिनांक 29.12.2011 को प्रदान की है। दिनांक 07.07.2009 को आर.एफ. क्यू जारी कर दिया गया तथा दिनांक 13.10.2009 को निविदा खोली गयी। आर.एफ. क्यू का आंकलन चयन समिति द्वारा कर, योग्य निविदाकारों को आर.एफ. पी. जारी कर दिये गये हैं। इस परियोजना के अवितीय तथा वित्तीय प्रस्तावों का आंकलन बिड एवेल्यूशन कमेटी द्वारा किया गया जिसके तहत मै. एस.पी.एम.एल. एण्ड कन्सोर्टियम को एल-1 बिडर घोषित किया गया जिसे रा.वि.प्र.नि. बोर्ड द्वारा भी अनुमोदित कर दिया गया है। तदुपरान्त मै. एस.पी.एम.एल. कन्सोर्टियम को दिनांक 15.12.2011 को आशय पत्र जारी कर दिया गया है। ईंधन आपूर्ति अनुबन्ध के प्रारूप को आर.एस.एम.एम.लि. द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। आर. एस.एम.एम. एल. ने भूमि दिनांक 12.12.2012 को गुढा थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड के नाम कर दी, जिसकी रजिस्ट्री दिनांक 08.01.2013 को हो गयी। इस प्रोजेक्ट के द्वारा विद्युत उत्पादन 2016 में होना संभावित है।

केस-2(!!!) इसके अन्तर्गत निजी क्षेत्र द्वारा गिरल इकाई 3 व 4 (2*125 मेगावाट क्षमता) का विद्युत संयंत्र राजस्थान के बाडमेर जिले में, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 15.01.2010 के तहत स्थापित किया जाना है। इस कार्य के लिये राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम को नोडल ऑथोरिटी बनाया गया है। विद्युत उत्पादक का चयन करने के लिये मैसर्स पावर फाइनेंस कारपोरेशन कंसल्टिंग लि. को सलाहकार नियुक्त करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के दिशा निर्देश के तहत एक नई कम्पनी "बाडमेर थर्मल पावर कम्पनी लि".के नाम से पंजीकरण, कार्यालय रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, राजस्थान, जयपुर में दिनांक 05.07.2010 को हो गया है। राज्य सरकार द्वारा जल व भूमि का आवंटन कर दिया गया है। आर.एफ.क्यू. निविदा प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है तथा सफल निविदा कर्ताओं को आर.एफ.पी. दिनांक 10.05.2011 को

जारी कर दिया गया है। आर.एफ.पी. निविदा 12.03.2012 को खोला जाना प्रस्तावित है। ईंधन (लिंग्नाइट) की सप्लाई के लिये आर.एस.एम.एम. से मॉडल एफ.एस.ए.को अन्तिम रूप देने की प्रक्रिया 16.08.2012 को हो गयी। आर.एफ.पी. निविदा दिनांक 28.12.2012 को खोल दी गयी है।

केस-2(एफ) इसके अन्तर्गत निजी क्षेत्र द्वारा 1000 मेगावाट क्षमता का गैस आधारित विद्युत संयंत्र राजस्थान के केशोरायपाटन (जिला-बूंदी) में राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 19.07.2010 के तहत स्थापित किया जाना है। इस कार्य के लिये राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम को नोडल एजेंसी बनाया गया है। विद्युत उत्पादक का चयन करने के लिये मैसर्स पावर फाइनेंस कारपोरेशन कंसल्टिंग लि. को सलाहकार नियुक्त करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के दिशा निर्देश के तहत एक नई कम्पनी "केशोरायपाटन गैस थर्मल पावर कम्पनी लि" नाम से पंजीकरण, कार्यालय रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, राजस्थान, जयपुर में दिनांक 17.09.2010 को हो गया है। राज्य सरकार द्वारा भूमि का आवंटन कर दिया गया है। तथा भूमि का कब्जा दिनांक 22.06.2010 को प्राप्त कर लिया गया है। जल संसाधन विभाग द्वारा परियोजना के लिये जल का आवंटन कर दिया गया है। गैस आवंटन के लिये केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली को 26.10.2010 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। गैस ऑथोरिटी ऑफ इन्डिया से गैस सप्लाई के लिये टर्म शीट पर हस्ताक्षर प्राप्त कर लिये गये हैं।

ग. केन्द्र सरकार की नीति (प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धात्मक निविदा)के अन्तर्गत निजी क्षेत्र की

भागीदारी द्वारा प्रसारण परियोजनाओं का विकास :-

राजस्थान सरकार ने राज्य में प्रसारण परियोजनाओं के विकास में निजी क्षेत्र भागीदारी में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने हेतु एक राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति का गठन किया है। उक्त प्राधिकृत समिति ने इसकी पहली बैठक में प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया द्वारा निजी क्षेत्र भागीदारी द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली परियोजनाओं का निर्णय किया व राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम को प्रसारण सेवा प्रदाता के चयन हेतु निविदा प्रक्रिया संयोजक प्राधिकृत किया गया। उक्त प्राधिकृत समिति ने इसकी दूसरी बैठक में बूम के आधार पर निविदायें जारी किये जाने का निर्णय किया। उपरोक्त निर्णयों के अनुसार रा.रा.वि.प्र. निगम द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के लिये निविदायें दिनांक 27.02.2009 को जारी की व निविदा प्रलेख दिनांक 01.03.2009 को जारी किये गये। प्राप्त निविदायें दिनांक 04.11.2009 को खोली गयी। आवश्यक अहर्ता मूल्यांकन का कार्य प्रगति पर है। तीन प्रसारण परियोजनाओं में से दो परियोजनाओं (400 के.वी. बीकानेर- डीडवाना लाइन, 400 के.वी. हिन्डौन-अलवर लाइन व डीडवाना और अलवर पर सब-स्टेशन) हेतु आशय पत्र दिनांक 30.09.2010 को मैसर्स जी. एम.आर. एनर्जी लिमिटेड (एल-1 बोलीदाता) के पक्ष में जारी कर दिये है। तीसरी प्रसारण परियोजना (220 के.वी. सीकर-नवलगढ-झुंझुनू लाइन व नवलगढ सब स्टेशन) का आशय पत्र दिनांक 23.02.2011 को जारी कर दिया गया है। पहली दो परियोजनाओं के लिये प्रसारण अनुज्ञा पत्र (ट्रांसमिशन लाइसेंस) एवं प्रसारण प्रशुल्क स्वीकृति (ट्रांसमिशन टैरीफ अडप्टान) हेतु दायर याचिकायें राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा अस्वीकृत कर दी गयी हैं,। इस सन्दर्भ में विद्युत अपील अधिकरण, नई दिल्ली में पुनर्विचार हेतु याचिका(अपील)दायर कर दी गयी, जिसकी

सुनवाई दिनांक 06.01.2012 को प्रस्तावित थी। पहली दो परियोजनाओं के लिये विद्युत अपील अधीकरण, नई दिल्ली में दायर याचिका का फैसला दिनांक 16.04.2012 को याचिकाकर्ता के पक्ष में आने के पश्चात् राज्य विद्युत नियामक आयोग ने उक्त दोनों परियोजनाओं के लिये प्रसारण अनुज्ञा पत्र (ट्रांसमिशन लाइसेंस) दिनांक 14.08.2012 को जारी कर दिये थे तथा प्रसारण शुल्क स्वीकृति(ट्रांसमिशन टैरीफ एडप्शन) भी दिनांक 30.09.2012 को दे दी गयी। तीसरी परियोजना हेतु भूमि की सब-लीज दिनांक 07.12.2012 को रजिस्टर कर दी गयी तथा एस.पी.वी. एवं टी.एस.ए. का कार्य प्रगति पर है।

राज्य स्तरीय उच्चाधिकार समिति ने दो नई परियोजनाओं (400 के.वी. बबड़- जयपुर नॉर्थ लाइन, 400 के.वी. जोधपुर-उदयपुर लाइन व जयपुर नॉर्थ और उदयपुर पर सब-स्टेशन)का, प्रतिस्पर्धी निविदा के माध्यम से निजी क्षेत्र में बूम के आधार पर देने हेतु चयन किया है। निविदायें जारी की जा चुकी हैं। उक्त परियोजनाओं की निविदायें क्रमशः 05.12.2012 एवं 23.11.2012 को खोली जा चुकी है। आवश्यक अहर्ता मूल्यांकन का कार्य प्रगति पर है।

7. ऊर्जा उपलब्धि, वितरण कम्पनियों द्वारा ली गयी ऊर्जा एवं प्रसारण क्षति

7.1 राजस्थान विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी अनुज्ञा पत्र के अनुसार राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम राज्य में विद्युत प्रसारण एवं विद्युत के थोक प्रदाय हेतु अधिकृत किया गया था। इस हेतु उत्पादन निगम, राज्य के अन्दर विभिन्न उत्पादन गृहों, केन्द्रीय विद्युत परियोजनाओं, साझेदारी परियोजनाओं आदि से विद्युत प्राप्त कर विभिन्न विद्युत वितरण कम्पनियों को विद्युत उपलब्ध कराने का कार्य मार्च, 2004 तक कर रहा था। तत्पश्चात विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अन्तर्गत अप्रैल, 2004 से राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम, पवन ऊर्जा संयंत्र, केप्टिव पावर प्लांट, केन्द्रीय विद्युत गृहों, विद्युत क्रय विक्रय केन्द्र व अन्य स्रोतों से विद्युत खरीद एवं विद्युत ऊर्जा के उत्पादन, प्रसारण, वितरण, आपूर्ति एवं व्हीलिंग में लगी हुयी विभिन्न कम्पनियों तथा संस्थानों से ऊर्जा क्रय तथा ऊर्जा विक्रय अनुबन्धों का निष्पादन राज्य की तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों राजस्थान डिस्कॉमस् पावर प्रोक्योरमेंट सेन्टर (आर.पी.डी.पी.सी.) के माध्यम से कर रही है।

7.2 पिछले वित्तीय वर्ष (2011-12) के सापेक्ष आलोच्य वर्ष में ऊर्जा उपलब्धि, विक्रय एवं प्रसारण क्षति की स्थिति निम्न प्रकार रही :

विवरण	(मिलियन यूनिट)	
	वर्ष 2011-12 (प्रोविजनल)	वर्ष 2012-13 (दिसम्बर, 12 तक) (प्रोविजनल)
अ. साझेदारी परियोजनाओं से ऊर्जा उत्पादन :		
क. तापीय		
1. सतपुडा	0.000	0.000
ख. पन		
1. भाखडा ब्यास परियोजना		
भाखडा	1002.413	621.741
देहर	620.562	542.358
पैंग	1041.556	802.509
2. चम्बल एवं इम्पोर्ट(+)/एक्सपोर्ट(-), मध्य प्रदेश को।	649.132	340.901
योग (ख)	<u>3313.663</u>	<u>2307.508</u>
योग (अ)(क+ख)	<u>3313.663</u>	<u>2307.508</u>
(ब) विद्युत क्रय		
1. राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि.		
क. तापीय		
1. कोटा तापीय विद्युत गृह	9117.617	6498.214
2. सूरतगढ तापीय विद्युत गृह	9735.261	7342.203
3. धौलपुर कम्बाइन्ड साइकल पावर प्रोजेक्ट	2192.617	887.986
4. गिरल लिग्नाइट तापीय पावर स्टेशन	379.949	215.408
5. राजवेस्ट	1408.748	2281.766
6. छबडा	2211.120	1844.709
7. बरसिंहसर	510.889	763.004
8. कालीसिंध	—	(0.179)
9. वी.एस. लिग्नाइट	503.330	483.815

10.रामगढ गैस	527.214	369.500
योग-1 (क)	<u>26586.745</u>	<u>20686.427</u>
ख. पन		
1. माही	179.167	136.425
2. मांगरोल	7.723	2.995
3. लघु पन परियोजनायें	9.871	5.888
योग-1 (ख)	<u>196.761</u>	<u>145.308</u>
योग 1 (क+ख)	<u>26783.507</u>	<u>20831.735</u>
2.केन्द्र संचालित परियोजनायें एवं अन्य स्रोत		
क. तापीय		
1. सिंगरौली	2449.594	2031.427
2. रिहन्द	1754.645	1421.136
3. उंचाहार	708.238	592.195
4. दादरी तापीय	141.050	159.540
5. फरक्का एसटीपीएस(इआरइबी से एनटीपीसी स्टेशनस)	72.491	47.803
6. कहलगांव एसटीपीएस(इआरइबी से एनटीपीसी स्टेशनस)	720.312	581.862
7. झझर	17.398	31.467
8. कोटेश्वर	51.817	80.266
9. मूंदडा-यू.एम.पी.पी.	—	614.083
10. बिनानी इण्डस्ट्रीज(कैप्टिव पावर)	2.486	2.753
11. डी.सी.एम.लि.(डी.एस.सी.एल)(कैप्टिव पावर)	0.241	0.105
12. आदित्य सीमेंट वर्क्स(कैप्टिव पावर)	1.275	2.417
13. अम्बूजा सीमेंट(कैप्टिव पावर)	36.305	7.074
14. हिन्दुस्तान जिंक(कैप्टिव पावर)	79.306	19.619
15. बिरला व्हाइट सीमेन्ट	0.527	0.364
16. श्री सीमेन्ट लि.(कैप्टिव पावर)	247.315	258.775
17. जे.के.लक्ष्मी(कैप्टिव पावर)	0.291	0.288
18. आर.एस.डब्ल्यू.एम.एल.(कैप्टिव पावर)	0.866	0.488
19. डी.एस.सी.एल इंजेक्शन,पावर एक्सचेंज को, हानि सहित	0.008	0.115
20. जे.के.व्हाइट	0.013	0.028
21. ग्रेसिम सीमेन्ट(आर.पी.पी.सी.को विक्रय)	2.353	2.700
22. सी.सी.डब्ल्यू. चितौड(आर.पी.पी.सी.को विक्रय)	0.273	0.190
23. संगम इडिया (आर.पी.पी.सी.को विक्रय) (कैप्टिव पावर)	0.001	—
24. बॉसवाडा सिंटेक्स लि.(आर.पी.पी.सी.को विक्रय)	0.087	—
25. आर.एस.डब्ल्यू.एम.इन्ड.(ओ.ए.)	64.977	88.006
26. हिन्दुस्तान जिंक.(ओ.ए.)	562.807	525.754
27. श्री सीमेन्ट लि.(ओ.ए.)	109.581	41.069
28. श्री सीमेन्ट लि.(ओ.ए.)(कुशखेडा)	42.654	69.915
29. श्री सीमेन्ट लि.(ओ.ए.)	17.765	—
योग-2 (क)	<u>7084.676</u>	<u>6579.439</u>
ख. पन		
1. नाथपा-झाकडी	612.117	508.603
2. सलाल	95.410	82.376
3. टनकपुर	47.395	39.958

4. चमेरा	684.943	630.079
5. उरी	240.942	205.145
6. आर.एफ.एफ.	183.000	137.500
7. धौलीगंगा	121.730	109.882
8. टिहरी	326.271	195.968
9. धुलस्ती	258.622	228.782
10. ताला	45.665	—
11. एस.इ.डब्ल्यू.ए.	66.949	40.338
योग-2 (ख)	<u>2683.043</u>	<u>2178.631</u>
ग. आणविक		
1. राज. अणु विद्युत गृह	3271.639	2218.155
2. नरोरा अणु विद्युत गृह	189.246	191.271
योग-2 (ग)	<u>3460.885</u>	<u>2409.426</u>
घ. गैस		
1. अन्ता	570.213	328.296
2. औरैया	382.261	175.324
3. दादरी	536.091	307.044
योग-2 (घ)	<u>1488.565</u>	<u>810.664</u>
ड. पवन ऊर्जा संयंत्र		
1.आर.एस.पी.सी.एल, आर.एस.एम.एम.एवं अन्य निजी उपक्रम	<u>2686.857</u>	<u>2977.893</u>
च. अन्य स्रोत		
1.यू.आई.	2754.446	1279.498
2.बायलेटरल एनर्जी-अन्य क्षेत्र मे		
पी. टी. सी.	839.573	(340.677)
पी.एक्स.आई.एल.	0.247	14.371
आई.इ.एक्स.	12.001	88.510
एन. वी. वी. एन	(588.002)	(0.100)
एस.सी.एल.	—	(28.258)
आर.पी.जी	(28.117)	—
डी.एस.ओ.एल.ए.आर.पी.पी.एल.	(0.319)	(41.818)
मित्तल	(33.483)	2.288
पावर एक्सचेंज	1163.919	2704.861
एम.पी.पी.टी.सी.एल.	(0.337)	(0.210)
सिक्किम	—	18.260
3. बायलेटरल एनर्जी- क्षेत्र के भीतर		
टाटा	(49.005)	0.000
पी. टी. सी.	21.802	(58.024)
एन. वी. वी. एन	(76.300)	—
रिलायन्स	2.750	—
मित्तल	—	18.228
बी.आर.पी.एल.	—	(93.613)
आर.पी.पी.सी.	—	43.130
के.आइ.एस.पी.एल.	19.080	—

पी.एक्स.आइ.एल.	—	3.918
आइ.इ.एक्स.	(3.626)	25.621
एस.सी.एल.	(131.112)	—
4.एक्सचेंज / ट्रेडर को विक्रय हेतु अन्य से क्रय	666.016	—
5. विक्रय विस्द्ध इंजेक्शन , पी.एक्स./आई.ई.एक्स.ट्रेडर को योग-2 (च)	—	273.025
	<u>4569.511</u>	<u>3909.011</u>
योग 2 (क+ख+ग+घ+ड.+च)	<u>21973.537</u>	<u>18865.064</u>
कुल ऊर्जा क्रय योग (ब)(1+2)	<u>48757.043</u>	<u>39696.799</u>
(स) सकल ऊर्जा उपलब्धि (उत्पादन+क्रय)	<u>52070.706</u>	<u>42004.307</u>
(द) ग्रिड सब- स्टेशनों पर सहायक तंत्र में प्रयुक्त ऊर्जा	23.848	18.757
(य) राज्य में विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा ली गयी ऊर्जा	<u>49208.795</u>	<u>39685.072</u>
(र) अन्य राज्यों तथा कामन पुल द्वारा ली गयी उर्जा एवं आर.पी.पी.सी. द्वारा मध्य प्रदेश रा.वि.मं. को विक्रय	542.287	360.848
(ल) कुल प्रसारण क्षति	2861.911	2319.235
(व) कुल प्रसारण क्षति का प्रतिशत $\{(ल \div स) \times 100\}$	5.50	5.52
(क) राज्य के भीतर प्रसारण तंत्र मे शुद्ध प्रवाह	51478.243	41513.047
(ख) राज्य के भीतर प्रसारण क्षति	2269.448	1822.244
(ग) राज्य के भीतर प्रसारण क्षति का प्रतिशत $\{(ख \div क) \times 100\}$	4.41	4.39
(घ) उत्तरी ग्रिड से ऊर्जा क्रय	15969.818	14445.824
(ड.) राज्य के बाहर प्रसारण क्षति	592.463	491.259
(च) राज्य के बाहर प्रसारण क्षति का प्रतिशत $\{(ड. \div घ) \times 100\}$	3.71	3.40

8. नियोजित निगम कर्मचारी

प्रसारण निगम में विभिन्न पदों पर तकनीकी व गैर तकनीकी कर्मचारी कार्य करते हैं। वर्ष 2011-12 के अन्त में नियोजित निगम कर्मचारियों की संख्या व उनका प्रतिशत अनुपात निम्न था :

कर्मचारी श्रेणी	कर्मचारी	
	संख्या (प्रोवि.)	प्रतिशत
1. तकनीकी :		
क. अधिकारी	773	8.81
ख. कनिष्ठ अभियन्ता	1677	19.12
ग. अधीनस्थ	4368	49.81
योग-1	6818	77.74
2. गैर तकनीकी:		
क. अधिकारी	80	0.91
ख. मंत्रालयिक	1154	13.16
ग. चतुर्थ श्रेणी	718	8.19
योग-2	1952	22.26
सकल योग (1+2)	8770	100.00

